

कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या-१५५/ई०सी०-१/एन०डी०/२०२५

दिनांक-14/10/2025

-: सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अर्थाथियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-180/एन०डी०/2025 दिनांक 25-06-2025 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर योगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अर्थाथियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्भावित रूप से अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 17-10-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अर्थाथियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह सम्भावित रूप से दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (सर्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशेषता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर कमाक
1	आर्थोपेडिक्स	1 द्रामा	अनारक्षित	(4)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ओ०बी०सी०	(9)
		1	एस०सी०	(53)	1	अनारक्षित	(58)	1	एस०सी०	(101)
2	आयुर्वेद/लो०जी	0	0	0	1	एस०सी०	(59)	1	अनारक्षित	(104)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(60)	1	एस०सी०	(105)
3	आन्ट्रिपेडिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(65)	0	0	0
4	इन्फेक्शियस डिसेज एण्ड प्लेड ट्रांसमिशन मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इमरजेंसी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(66)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)
					1	ओ०बी०सी०	(67)	1	एस०सी०	(111)
								1	अनारक्षित	(112)
6	एन्डोक्राइनोलॉजी (पीएमएसएचआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	एस०सी०	(59)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)
								1	ओ०बी०सी०	(51)
								1	अनारक्षित	(76)
								1	अनारक्षित	(86)
								1	ओ०बी०सी०	(87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(9)	1	ओ०बी०सी०	(13)
					1	ओ०बी०सी०	(9)	1	अनारक्षित	(14)
					1	अनारक्षित	(68)	1	एस०सी०	(15)
					1	एस०सी०	(69)	1	ओ०बी०सी०	(60)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(70)	1	ओ०बी०सी०	(113)
					1	ओ०बी०सी०	(71)	1	एस०सी०	(115)
					1	अनारक्षित	(72)	1	ओ०बी०सी०	(119)
9	एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएचआई)	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(61)
10	ऑटो लैरिगोलॉजी(ई०एम०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	0	0	0	0	0	0
11	कन्सुल्टेंट मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(19)
								1	ओ०बी०सी०	(81)
								1	एस०सी०	(121)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(160)
12	किटिकल केयर (पीएमएसएचआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	1	अनारक्षित	(62)
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(76)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(20)
					1	ओ०बी०सी०	(77)	1	एस०सी०	(41)
					1	अनारक्षित	(78)	1	एस०टी०	(47)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(80)	1	अनारक्षित	(52)
					1	ओ०बी०सी०	(81)	1	एस०सी०	(53)
					1	अनारक्षित	(104)	1	अनारक्षित	(54)
					1	एस०सी०	(91)	1	एस०सी०	(63)
								1	अनारक्षित	(64)
								1	ओ०बी०सी०	(123)
								1	अनारक्षित	(124)
								1	एस०सी०	(125)
								1	अनारक्षित	(126)
								1	ओ०बी०सी०	(127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	अनारक्षित	(84)	1	प्लास्टिक सर्जरी	(23)
					1	ओ०बी०सी०	(85)	1	द्रामा	(24)
					1	ओ०बी०सी०	(87)	1	अनारक्षित	(44)
					1	अनारक्षित	(88)	1	अनारक्षित	(52)
					1	एस०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(65)
								1	एस०सी०	(99)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(100)
								1	ओ०बी०सी०	(129)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(130)
								1	एस०सी०	(131)
								1	ओ०बी०सी०	(165)
								1	अनारक्षित	(166)
								1	ओ०बी०सी०	(167)
								1	एस०सी०	(169)
15	द्यूबेरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(54)	1	ओ०बी०सी०	(133)
					1	ई०डब्ल्यू०एस०	(90)			
					1	अनारक्षित	(106)			
16	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0	1	एस०सी०	(135)
17	डिप्लोमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	न्यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(24)	0	0	0	0	0	0
19	न्यूरोसर्जरी	1	एस०सी०	(26)	1	एस०सी०	(111)	0	0	0
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएचआई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

.....2


21	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलोजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसीओ	(27)	0	0	0	0	0	0
22	पीडियाट्रिक्स	1	अनारक्षित	(86)	1	अनारक्षित	(92)	1	एससीओ	(89)
					1	एससीओ	(93)	1	ओपीसीओ	(139)
					1	अनारक्षित	(94)	1	इंडब्ल्यूएसओ	(170)
					1	ओपीसीओ	(95)	1	ओपीसीओ	(171)
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एससीओ	(45)	1	एससीओ	(47)	1	ओपीसीओ	(71)
24	पैथालोजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फार्माकालोजी	1	एससीओ	(49)	1	एससीओ	(25)	1	एससीओ	(93)
								1	अनारक्षित	(144)
								1	एससीओ	(173)
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0
27	फिजियोलोजी	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसीओ	(46)
								1	अनारक्षित	(94)
								1	एससीओ	(145)
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)
								1	अनारक्षित	(146)
29	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(174)
30	माइक्रोबायोलोजी	0	0	0	1	एससीओ	(97)	0	0	0
31	मेडिकल गैस्ट्रोइन्टेलॉजी	0	0	0	1	इंडब्ल्यूएसओ	(50)	0	0	0
32	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ओपीसीओ	(51)	0	0	0
33	रेडियोलॉजी	1	ओपीसीओ	(37)	1	इंडब्ल्यूएसओ	(30)	1	ओपीसीओ	(37)
					1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(38)
					1	एससीओ	(99)	1	अनारक्षित	(56)
					1	इंडब्ल्यूएसओ	(100)	1	अनारक्षित	(152)
					1	एससीओ	(101)	1	एससीओ	(153)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(154)
								1	ओपीसीओ	(155)
								1	अनारक्षित	(156)
								1	ओपीसीओ	(157)
								1	ओपीसीओ	(161)
33	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीसीओ	(103)	1	फिजिस्ट	(158)
		15			62			81		

- उक्त पदों पर नियमानुसार आक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु-₹75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
 - शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
 - शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
 - चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थी को पूर्ववर्ती अर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
 - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
 - ओपीसीओ के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
 - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/अपघात सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
 - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवानिवृत्त लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
 - संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से शीघ्रि भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महाविदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशान सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
 - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमलीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
 - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त भी जा सकती है।
 - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भाविक में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमलीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
 - अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक याद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
 - उ०प्र०शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.पी.-11 दिनांक 19-02-2019 के अन्तर्गत इंडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आक्षण का लाभ विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एन०एम०सी० गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
 - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
 - जो अभ्यर्थी एम०डी०/एम०एस० के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं- 294 तददिनांक

- प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महाविदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
 - समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
 - नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर


प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर